

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

पत्रांक 390/341

पटना दिनांक 01/04/2025

ग्रा०वि०-08 लोकपाल (अवधि विस्तार) 03/2025

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत राज्यस्तरीय अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष श्री राधा किशोर झा एवं सदस्य श्री देवेश नाथ दीक्षित को उनके कार्यकाल की दो वर्षीय एवं प्रथम एक वर्षीय अवधि पूरी होने के पश्चात दिनांक 04.04.2025 से द्वितीय एकवर्षीय अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रमोद कुमार राम)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 390/341

पटना, दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 390/341

पटना, दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:- श्री राधा किशोर झा, अध्यक्ष, राज्यस्तरीय अपीलीय प्राधिकार एवं श्री देवेश नाथ दीक्षित, सदस्य, राज्यस्तरीय अपीलीय प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 390/341

पटना, दिनांक 01/04/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRDS/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव